रीडर

15.07.19	वकील अपीलार्थी उप०। बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार, तलावड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी ने ख०नं० 72 रकबा 0.02 है० किस्म गै०मु० रास्तावाके ग्राम नन्दपुरा से अतिक्रमण हटा लिया है एवं वर्तमान में रास्ता चालु है। अतः अपीलार्थी की अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावड़ा द्वारा पारित आदेश को सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)